

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया ।

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता / अपर समाहर्ता-सह- समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 11 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सियादतपुर अगुआनी, थाना-परबत्ता, थाना सं०-380, अंचल-परबत्ता, जिला-खगड़िया में कुल-7.25. एकड़ भूमि सार्वजनिक परियोजन यथा सुलतानगंज (भागलपुर जिला) अगुआनी घाट (खगड़िया जिला) के बीच गंगा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है, अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-सियादतपुर अगुआनी, थाना- परबत्ता, थाना सं०-380, अंचल-परबत्ता, जिला- खगड़िया में आद्री, बोरिंग रोड, पटना से प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन (एस० आई० ए०) की विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित परियोजना की क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन लोक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तथा परियोजना से होने वाले लाभ प्रतीयमान क्षति की सापेक्षता में अधिक है। अतः प्रस्तावित भूमि का अर्जन किये जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 7.25 एकड़ मानक माप का भूखंड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्र०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)
1	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.17	धनंजय मिश्र वो बलराम मिश्र पिता कपिलदेव मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-सि० टीमापुर लगार द०-नीज पू०-बलराम मिश्र प०-नीज
2	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.67	कंचन देवी पति बलराम मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-टीमापुर लगार द०-बलराम मिश्र पू०-सुनील मिश्र प०-धनंजय मिश्र
3	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.43	सुनील मिश्र वो अशोक मिश्र पिता रामवरण मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-टीमापुर लगार द०-सुमन हजारी पू०-नीज प०-कंचन देवी
4	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.43	सुमन हजारी वो राजेश हजारी वो रवीश हजारी पिता दयानंद हजारी सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०- संनील मिश्र द०-मनटुन हजारी पू०-नीज प०-बलराम मिश्र
5	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.17	बलराम मिश्र पिता कपिलदेव मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-कंचन देवी द०-धनंजय मिश्र पू०-सुमन हजारी प०-धनंजय मिश्र



Prudhvi
07/12/2017

6	4	1	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.81	धनंजय मिश्र पिता बलराम मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-बलराम मिश्र द०-अखिलेश सिंह पू०-मनदुन हजारी प०-नीज
7	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.60	मनदुन हजारी पिता स्व० अर्न्तयानी हजारी सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-सुमन हजारी द०-अमित मिश्र पू०-राजेश मिश्र प०-धनंजय मिश्र
8	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.02	राजीव मिश्र वो प्रभास मिश्र पिता महेन्द्र हजारी सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-नीज द०-राजेश मिश्र पू०-नीज प०-मनदुन हजारी
9	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.21	राजेश मिश्र पिता सच्चितानंद मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-राजीव मिश्र द०-अखिलेश सिंह पू०-नीज प०-अंकित मिश्र
10	30	2	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.44	अमित मिश्र वो सुमित मिश्र पिता सहजानंद मिश्र सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-मनदुन हजारी द०-अखिलेश सिंह पू०-राजेश मिश्र प०-धनंजय मिश्र
11	5	3	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.28	अखिलेश सिंह पिता नागेश्वर प्रसाद सिंह सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-अमित मिश्र द०-ओम प्रकाश सिंह पू०-नीज प०-नीज
12	5	3	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.02	ओम प्रकाश सिंह पिता नागेश्वर प्रसाद सिंह सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-अखिलेश सिंह द०-सि० रहीमपुर इंगलिश पू०-कुनकुन सिंह प०-नीज
13	5	3	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.04	कुनकुन सिंह पिता स्व० कृष्णानंद सिंह सा० डुमरिया बुजुर्ग	उ०-नीज द०-सि० रहीमपुर इंगलिश पू०-नीज प०-ओम प्रकाश सिंह

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अबभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके कर्मचारी श्री आनन्द प्रकाश राम, कानुनगं को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा - 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगत उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपतियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


समाहर्ता
खगड़िया

ज्ञापांक 537 / भू-अ0, दिनांक 5-12-17

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक भू-अर्जन, निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की बीस-बीस प्रतियाँ इस कार्यालय को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
6. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


समाहर्ता
खगड़िया